# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

## पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 127/2021
सुभान खाँ पुत्र रायभान जाति फकीर निवासी जोतगामेती तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील पहाडी एवं उपपंजीयक महोदय, तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :- 08/06/2022

### निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी नम्बर 3/0.64, 33/0.76 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ एवं खसरा नम्बर 318/0.07 हैक्टर बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 3/0.64 का पूर्ण हिस्सा खसरा नम्बर 33/0.76 1/2 हिस्से का वादी खातेदार है एवं खसरा नम्बर 318/0.07 है0 के 1/2 हिस्से का पट्टेदार काश्तकार काबिज आराजी है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 3 व 33 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया गया था तथा खसरा नम्बर 318 वादी को प्रतिवादी द्वारा पट्टा जारी किया गया था। वादी का सही नाम सुभान खाँ पुत्र रायभान है जो वादी के समस्त पहचान दस्तावेजों में दर्ज है। वादी को सुभान खाँ के नाम से ही जाना जाता है लेकिन बयनामा में भूल वश डीडराटईर द्वारा पट्टे की आराजी में वादी के सही नाम सुभान खां के स्थान पर गलत नाम बल्लू अंकित कर दिया गया और प्रतिवादी द्वारा वादी के सही नाम की जाँच पडताल किये बिना बयनामा व पट्टे में अंकित वादी के गलत नाम बल्लू के आधार पर तस्दीक कर दिया गया और तब से लेकर आज तक राजस्व रिकॉर्ड में आराजी पर वादी के सही नाम सुभान खाँ के स्थान पर बल्लू दर्ज होता चला आ रहा है। जिससे वादी को काफी परेशानी आ रही है आराजी मुत0 पर रिकॉर्ड में चल रहे वादी के गलत नाम बल्लू का अंकन कानून के खिलाफ है जिसे कलमजन कराकर उसके स्थान पर सही नाम सुभान खाँ को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का वादी पूर्ण रूप से अधिकारी है। आराजी की बाबत राजस्व रिकॉर्ड में चल रहे गलत नाम बल्लू के इन्द्राज का इल्म वादी को नकल रिकॉर्ड लेने पर दिनांक 12/04/2021 को हुआ। तो वादी ने गलत इन्द्राज की दुरूस्ती कराने के लिये प्रतिवादी के यहाँ पेश हुआ तो प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड में दुरूस्ती

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

करने से इन्कार कर दिया। वाद कारण दिनांक 12/04/2021 को नकल रिकॉर्ड लेने तथा रिकॉर्ड में चल रहे गलत नाम के इन्द्राज की जानकारी होने पर पैदा हुई। अतः निवेदन है कि आराजी मुत0 पर वादी का सही नाम सुभान खां पुत्र रायभान है गलत नाम बल्लू को कलमजन कर उसके स्थान पर सही नाम सुभान खां पुत्र रायभान राजस्व रिकॉर्ड दर्ज फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स्वयं उपस्थित न्यायालय आया रिपोर्ट/जबाब दिनांक 20/04/2022 को इस आशय का पेश किया कि ग्राम गोपालगढ की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 349 खसरा नम्बर 3/0.64, बल्लू पुत्र रायभान जाति फकीर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 480 खसरा नम्बर 33/0.76 रमजान पुत्र कमरूद्दीन हिस्सा 1/2 , बल्लू पुत्र रायभान हिस्सा 1/2 जाति फकीर साकिन जोतगामेती दर्ज रिकॉर्ड हैं उक्त खसरा नम्बर वादी के पिता द्वारा बयनामा से खरीदना बताया गया है। सुभान खाँ को दो नामों से जाना जाता है वादी के पिता के आधार कार्ड में सुभान खां पुत्र रायभान जाति फकीर व ग्राम जोतगामेती के खाता संख्या 72 में वादी के पिता का नाम हनीफ पुत्र सुभान खां जाति फकीर दर्ज रिकॉर्ड है । मुताबिक जमाबन्दी व आधार कार्ड व जमाबन्दी जोतगामेती के आधार से बल्लू के स्थान पर सुभान खां किये जाने बाबत रिपोर्ट पेश है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

**तनकी संख्या 1 :–** आया आराजी खसरा नम्बर 03/0.64, 33/0.76 बांके ग्राम गोपालगढ व खसरा नम्बर 318/0.07 है0 बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी में स्थित है। जिसमें वादी का नाम बल्लू पुत्र रायभान दर्ज रिकॉर्ड है।

..............वादी

**तनकी संख्या 2 :–** आया आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर बल्लू पुत्र रायभान के स्थान पर सुभान खां पुत्र रायभान दर्ज किया जावें।

................वादी

3 :– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 सुभान खाँ, पी0डब्लू0 2 हाकम खां , पी0डब्लू0 3 इदरीश के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 13/05/2022 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश की ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

**तनकी संख्या 1 :–** आया आराजी खसरा नम्बर 03/0.64, 33/0.76 बांके ग्राम गोपालगढ व खसरा नम्बर 318/0.07 है0 बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी में स्थित है। जिसमें वादी का नाम बल्लू पुत्र रायभान दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट आराजी नम्बर 3/0.64, 33/0.76 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ एवं खसरा नम्बर 318/0.07 हैक्टर बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी में स्थित है। जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

ावादी का नाम बल्लू पुत्र रायभान दर्ज रिकॉर्ड है। अतः यह तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 2 :–** आया आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर बल्लू पुत्र रायभान के स्थान पर सुभान खां पुत्र रायभान दर्ज किया जावें।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा यह कथन स्वयं स्वीकार किया गया है कि यह आराजी वादी द्वारा रजिस्ट्रर्ड बयनामा के माध्यम से क्रय की गई है। जिसमें वादी का नाम बल्लू पुत्र रायभान दर्ज है। तहसीलदार पहाड़ी ने भी यह कथन किया है कि वादी द्वारा उक्त रकबा रजिस्ट्रर्ड बयनामा के माध्यम से क्रय किया है। अतः पंजीकृत दस्तावेज में संशोधन के बिना राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

3 **दादरसी :–** तनकी संख्या 2 विरूद्ध वादी निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी काबिले खारिज है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/06/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner

## डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)**

**पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस**

मुकदमा नं0 127/2021

सुभान खाँ पुत्र रायभान जाति फकीर निवासी जोतगामेती तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील पहाडी एवं उपपंजीयक महोदय, तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .............व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादी खारिज किया जाता है।**

आज ..... X ....... मुबलिग ............................ X ........................................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ......... X ......... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ............. X ..................... तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/06/. सन् 2022 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....................................

ओहदा ....................................

| मुद्दई | | रूपया | पैसा | मुद्दालय | | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | ....... | 2.00 | | स्टाम्प अरजीदावा | ....... | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | ....... | 1.00 | | स्टाम्प वकालतनामा | ....... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | ....... | 1.00 | | स्टाम्प वजह सबूत | ....... | | |
| महनताना वकील )पर | .... | | | महनताना वकील )पर | .... | | |
| खर्चा गवाहान | .... | | | खर्चा गवाहान | .... | | |
| फीस कमिश्नर | ..... | | | फीस कमिश्नर | ..... | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | .... | | | बबत इजराय हुक्मनामा | .... | | |
| मुतफर्रिक | ..... | | | मुतफर्रिक | ... | | |
| मीजान | .......... | 4.00 | | मीजान | .......... | | |